अध्याय - 4

फर्नीचर और उपकरण

अध्याय 4: फर्नीचर और उपकरण

यह अध्याय औषधालयों और चिकित्सालयों में फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के क्रय, उपलब्धता और उपयोग से संबंधित है। जनमानस को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए आवश्यक फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की उपलब्धता सबसे आवश्यक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में से एक है।

4.1 आयुष स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में फर्नीचर और उपकरणों की उपलब्धता

आधारभूत आवश्यकता होने के बावजूद, आयुष विभाग ने आयुष स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के लिए आवश्यक फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के मानदंडों का मानकीकरण नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक, आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथिक औषधालयों और चिकित्सालयों के लिए मसौदा मानकों[1]; और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को फर्नीचर व चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु राज्य आयुष सोसायटी की क्रय समिति द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की उपलब्धता का सत्यापन किया। नमूना जाँच किए गए 27 आयुर्वेदिक औषधालयों और चिकित्सालयों (7 औषधालय, चार बिस्तरों वाले 18 चिकित्सालय और 15 बिस्तरों वाले दो चिकित्सालय), 19 यूनानी औषधालय और चिकित्सालय (3 औषधालय और चार बिस्तरों वाले 16 चिकित्सालय) और 16 होम्योपैथिक औषधालयों में आधारभूत फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की उपलब्धता **चार्ट 2** में दर्शाई गई है:

[1] 'नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010', स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

चार्ट-2: परीक्षण किये गये आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों की संख्या जहाँ आधारभूत फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरण उपलब्ध नहीं थे

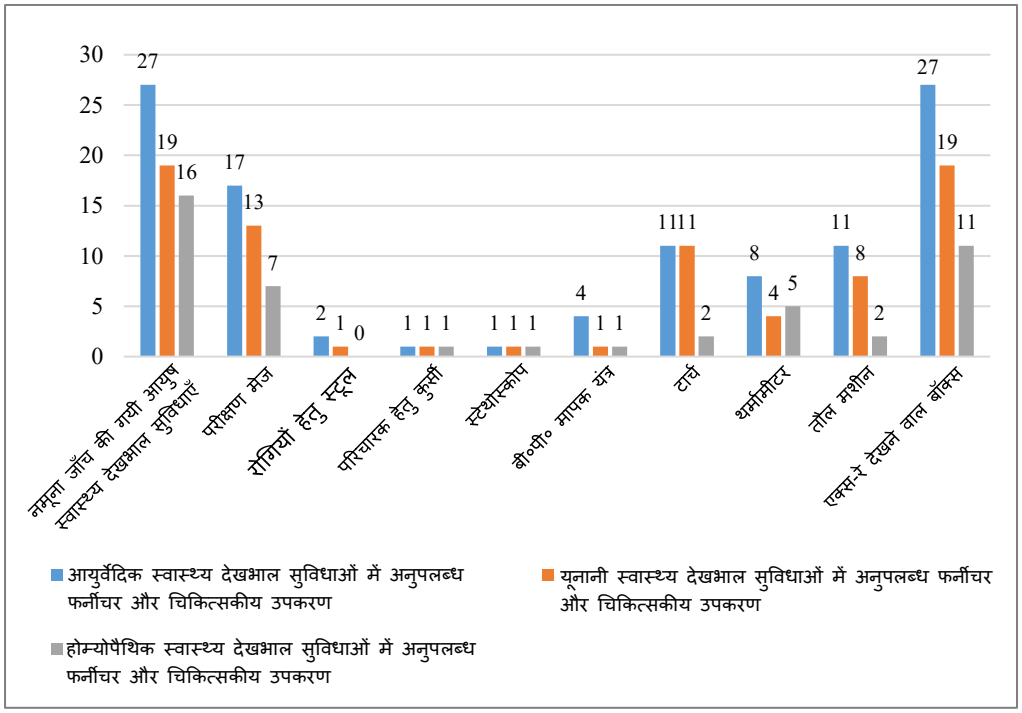

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन और नमूना जाँच किये गए औषधालयों और चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

62 औषधालयों और चिकित्सालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह भी पता चला कि 3 औषधालयों और चिकित्सालयों में फर्नीचर की स्थिति अच्छी नहीं थी; और 7 औषधालयों और चिकित्सालयों में औजारों और उपकरणों की स्थिति अच्छी नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश शासन ने 25 शैय्या वाले चिकित्सालयों के लिए 51 वस्तुएँ/उपकरण निर्धारित किये (मार्च 1987)। राज्य आयुष सोसायटी ने प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को 38 प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया (मई 2020)। इसी प्रकार, निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ ने प्रत्येक योग कल्याण केंद्र के लिए 43 प्रकार के उपकरणों/वस्तुओं की एक सूची प्रसारित की (जनवरी 2021)। 25 शैय्या वाले पांच चिकित्सालयों, 8 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और 8 योग कल्याण केंद्रों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि 25 शैय्या वाले चिकित्सालयों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और योग कल्याण केंद्रों के लिए निर्धारित 51, 38 और 43 उपकरणों के सापेक्ष उनकी उपलब्धता क्रमशः शून्य से 29 (औसतन 16 उपकरण), 28 से 38 (औसतन 35 उपकरण) और शून्य से 39 (औसतन 26 उपकरण) के मध्य थी।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को आयुर्वेद चिकित्सालयों में न्यूनतम फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं (जून 2024), यूनानी चिकित्सालयों में फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, 779 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा शेष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरण प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति में है। हालाँकि, शासन ने होम्योपैथिक औषधालयों में फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की अनुपलब्धता, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की कम उपलब्धता तथा अस्पतालों में फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की खराब स्थिति के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

4.2 फर्नीचर और चिकित्सालय-उपकरणों का क्रय और उपभोग

फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के क्रय के लिए धनराशि मुख्यतः राष्ट्रीय आयुष मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के क्रय से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

4.2.1 सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) को अनदेखा करते हुए पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों हेतु फर्नीचरों और उपकरणों का क्रय

उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी विभागों और उनके अधीन कार्यरत संस्थाओं के लिए केवल जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय को अनिवार्य कर दिया (अगस्त 2017)। जेम पर क्रेता के उत्तरदायित्वों और नियमों का नियम बी (ix) क्रेताओं को जेम के बाहर, जेम की दरों पर कोई भी आदेश देने को प्रतिबंधित[2] करता है; प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी अनुबंधों को अमान्य मानता है तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की चेतावनी देता है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड VI के प्रस्तर 360 में बिड्स जमा करने के लिए प्रथम विज्ञापन या सूचना की तिथि के बाद कम से कम एक माह का समय देने का प्रावधान है।

[2] क्रेताओं को जेम पर निष्पादित ई-बिडिंग/रिवर्स ऑक्शन के परिणाम के आधार पर सीधे विक्रेता से कोई ऑफ-लाइन अनुबंध करने की अनुमति नहीं है। ऐसे सभी अनुबंधों को अमान्य माना जाएगा और जेम ऐसे खरीदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रति चिकित्सालय ₹ 9.00 करोड़ (2021-22 से ₹ 15 करोड़) की अनुमानित लागत से 25 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों की स्थापना करने और 2018-19 से 2021-22 की अवधि में प्रति औषधालय ₹ 5.00 लाख की लागत से 871 औषधालयों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में उच्चीकृत करने को स्वीकृति दी। 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों और 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को संचालित करने के उद्देश्य से, मिशन के अंतर्गत अनुमोदित 65 प्रकार के फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के सापेक्ष, एकीकृत आयुष चिकित्सालयों हेतु 237 प्रकार[3] के फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए 38 प्रकार के उपकरणों के क्रय के लिए राज्य आयुष सोसायटी द्वारा जेम पर निविदाएं अपलोड की गईं (11 अक्टूबर 2021) जिसमे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिन बाद (22 अक्टूबर 2021 तक) थी । इस प्रकार, निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय एक महीने से भी कम था, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड VI के अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जेम पर अपलोड की गई निविदा सूचना में समिति की संस्तुतियों के अनुसार 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों और 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों की कुल संख्या के सापेक्ष, क्रय किये जाने वाले प्रत्येक फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों हेतु मात्र एक इकाई के लिए दरें आमंत्रित की गयी थीं। निविदा में भाग लेने वाले तीन निविदादाताओं[4] में से, सरस्वती इंटरनेशनल, लखनऊ[5] द्वारा उद्धृत दरें, जिसकी राशि ₹ 90.36 लाख थी, सबसे कम (एल-1) पाई गई (नवंबर 2021) और इसलिए, जेम पर फर्म के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया (नवंबर 2021) और जेम के माध्यम से फर्म को ₹ 90.36 लाख का आपूर्ति आदेश दिया गया। इसके बाद, राज्य आयुष सोसायटी ने मेसर्स सरस्वती इंटरनेशनल, लखनऊ को जेम की दरों पर

---

[3] फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित (सितम्बर 2021) 10 सदस्यीय तकनीकी समिति ने पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय के लिए अनुमोदित 65 प्रकार के उपकरणों (संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 1.05 करोड़ रुपये की अनन्तिम लागत पर 78 प्रकार के उपकरण) की सूची के सापेक्ष जेम के माध्यम से पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय के लिए 242 प्रकार के फर्नीचर एवं चिकित्सालय उपकरण के क्रय करने का निर्णय लिया (सितंबर 2021)। अक्टूबर 2021 में गठित एक क्रय समिति ने तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरणों के क्रय को स्वीकृति दी और उनकी विशिष्टियों को निर्धारित किया।

[4] सरस्वती इंटरनेशनल; लखनऊ, ऑप्टिकल एंड सर्जिकल कंपनी और कॉन्सर्ट लेबोरेटरीज, लखनऊ

[5] मैसर्स लखनऊ ऑप्टिकल एंड सर्जिकल कंपनी, लखनऊ का आधिकारिक पता यानी "पहली मंजिल, कॉमर्स हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, हजरतगंज, लखनऊ 226001" एक अन्य कंपनी मेसर्स सरस्वती इंटरनेशनल बीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी पता था।

कुल ₹ 27.01 करोड़[6] मूल्य का एक ऑफ़लाइन आपूर्ति आदेश दिया (नवंबर 2021)। ₹ 27.01 करोड़ के आपूर्ति आदेश में केवल ₹ 0.70 करोड़[7] मूल्य के फर्नीचर और चिकित्सालय उपकरण सम्मिलित थे, जिनके लिए आपूर्ति आदेश जेम के माध्यम से दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, जेम को अनदेखा करते हुए सरस्वती इंटरनेशनल को (₹ 27.01 करोड़ - ₹ 0.70 करोड़) ₹ 26.31 करोड़ मूल्य का आपूर्ति आदेश दिया गया। यद्यपि, जेम के बाहर जेम दरों पर वस्तुओं का क्रय-अनुबंध शून्य और अमान्य था, तथा इसने राज्य आयुष सोसायटी को इन वस्तुओं के बड़ी मात्रा में क्रय हेतु मूल्य की खोज से वंचित किया। इसके परिणामस्वरूप फर्म को अनुचित लाभ भी पहुँचा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- जेम पर किए गए अनुबंध की शर्त 1.9 में अन्य बातों के साथ-साथ, माल को पहुँचाने में देरी के लिए परिनिर्धारित क्षति प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से, जो अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी, का प्रावधान था । फर्म को दिए गए ऑफ़लाइन आपूर्ति आदेश में परिनिर्धारित क्षति से सम्बंधित उपधारा सम्मिलित नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप उपकरणों की अनापूर्ति, कम आपूर्ति और क्षतिग्रस्त आपूर्ति, जिनके मूल्य क्रमशः 4.93 लाख, ₹ 10.83 लाख और ₹ 2.49 लाख (कुल: ₹ 18.25 लाख) थे, के सापेक्ष कोई परिनिर्धारित क्षति वसूल नहीं की गयी; और
- राज्य आयुष सोसायटी ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत पांच एकीकृत आयुष चिकित्सालयों और 2021-22 के दौरान स्वीकृत 279 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों हेतु उपकरणों के क्रय के लिए जेम पर निविदाएं अपलोड कीं (फरवरी 2023)। तीन सफल निविदादाताओं में से, राज्य आयुष सोसायटी ने सरस्वती इंटरनेशनल को अयोग्य घोषित कर दिया (मार्च 2023) क्योंकि उसने पूर्ववर्ती आदेश (नवंबर 2021) के सापेक्ष समय पर उपकरणों की आपूर्ति नहीं की थी और आपूर्तित दोषपूर्ण उपकरणों को परिवर्तित[8] नहीं किया था तथा मात्र दो शेष अर्ह निविदादाताओं को ध्यान में रखते हुए निविदा को निरस्त कर दिया। तथापि राज्य आयुष सोसायटी ने न तो फर्म को काली सूची में डाला और न ही अपेक्षित ₹ 81.03 लाख (ऑफ़लाइन आपूर्ति आदेश के मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से) के सापेक्ष फर्म द्वारा जमा

---

[6] नवंबर 2021 में फर्म के साथ एक समझौता भी किया गया था।

[7] ₹ 90.36 लाख - 4 वस्तुओं का मूल्य (स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए हार्मोनल टेस्ट मशीन ₹ 20,16,000/- : ट्रॉलियों की कीमत ₹ 14000, स्ट्रेचर ₹ 13440, थ्रीफोल्ड स्क्रीन ₹ 2240) ऑफ-लाइन आपूर्ति ऑर्डर में सम्मिलित नहीं थी।

[8] इन दोषपूर्ण उपकरणों को बदलने के लिए फर्म को अंतिम नोटिस जारी किया गया है (अगस्त 2023)।

की गयी ₹ 67.00 लाख की निष्पादन प्रत्याभूति की धनराशि को जब्त किया।

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी/फरवरी 2025) कि आपूर्ति आदेश मेसर्स सरस्वती इंटरनेशनल को, निविदा में मांगी गयी प्रति इकाई दर के आधार पर दिया गया था और कहा कि उन उपकरणों के दर-अनुबंध के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी जिसे क्रय किया जाना था, तथा निविदा जमा करने के लिए 11 दिन का समय जेम की शर्तों के अनुसार दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा अपलोड (अक्टूबर 2021) करने के तुरन्त बाद समस्त आपूर्ति आदेश नवंबर 2021 में दे दिये गये थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रय की मात्रा पहले से ही तय की जा चुकी थी, बिड प्रपत्रों में अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता को शून्य बताया गया था और अनुमानित निविदा का मूल्य ₹ 5.00 करोड़ इंगित किया गया था, जबकि ऑफलाइन आपूर्ति आदेश ₹ 27.01 करोड़ का दिया गया था। जेम की शर्तों के अनुसार, जेम-दरों पर जेम के बाहर क्रय निषिद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती थी।

4.2.2 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों और आयुष चिकित्सालयों के लिए फर्नीचरों और उपकरणों के क्रय पर अलाभकारी व्यय

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को सुसज्जित करने के उद्देश्य से, राज्य आयुष सोसायटी ने जेम पर सभी 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों हेतु दस[9] प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण, परीक्षण कार्ड/स्ट्रिप और इन्वर्टर-बैटरी के क्रय के लिए निविदायें अपलोड कीं[10] (अगस्त 2022)। तकनीकी और वित्तीय बिड्स को खोलने के पश्चात, मेसर्स वानी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उद्धृत दरें[11] सबसे कम (एल-1) पाई गईं (सितम्बर 2022)। अतः 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए प्रयोगशाला उपकरण, कार्ड/स्ट्रिप (₹ 0.33 लाख प्रति औषधालय) और इन्वर्टर के लिए बैटरी (₹ 0.16 लाख प्रति औषधालय) की

---

[9] ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर पट्टी, डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर, हीमोग्लोबिन मीटर स्ट्रिप, गर्भावस्था, मलेरिया परीक्षण कार्ड, टाइफाइड विडाल टेस्ट कार्ड, मूत्र परीक्षण स्ट्रिप, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्वर्टर-बैटरी।

[10] अक्टूबर 2021 में उ० प्र० सरकार द्वारा गठित क्रय समिति ने (अगस्त 2022) ग्लूकोमीटर (1 अदद), ग्लूकोमीटर स्ट्रिप (500 अदद), डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर (1 अदद), हीमोग्लोबिन मीटर स्ट्रिप (300 अदद), प्रेगनेंसी टेस्ट (50 अदद), मलेरिया टेस्ट कार्ड (110 अदद), टाइफाइड विडाल टेस्ट कार्ड (100 अदद), यूरिन टेस्ट स्ट्रिप (300 अदद, पल्स ऑक्सीमीटर (1 अदद), इन्वर्टर-बैटरी (1 अदद) क्रय करने का निर्णय लिया|

[11] निविदा में छह निविदादाताओं ने भाग लिया। तकनीकी बिड्स खोलने (सितंबर 2022) के बाद, केवल चार निविदादाताओं अर्थात मेसर्स ऐमन इंटरनेशनल, मैसर्स वाणी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एएम एंड संस और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पात्र पाए गए (सितंबर 2022) । इन फर्मों की वित्तीय बिड्स सितंबर 2022 में खोली गई थीं।

आपूर्ति के लिए ₹ 2.45 करोड़ मूल्य का आपूर्ति आदेश उक्त फर्म को दिया गया (जनवरी 2023); और उसी दिन फर्म के साथ एक अनुबंध भी किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों हेतु पंचकर्म उपकरण (₹ 0.92 लाख प्रति औषधालय) और इनवर्टर (₹ 0.12 लाख प्रति औषधालय) की आपूर्ति के लिये नवंबर 2021 में मेसर्स सरस्वती इंटरनेशनल को कुल ₹ 5.20 करोड़ का आदेश दिया गया। यद्यपि इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को प्रयोगशाला उपकरण/किट और इनवर्टर-बैटरी की आपूर्ति के लिए कुल ₹ 2.45 करोड़ का आदेश जनवरी 2023 में वानी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ को दिया गया। चूँकि बैटरियाँ जनवरी 2023 में क्रय की गई थीं, इसलिए नवंबर 2021 में क्रय किये गए इनवर्टर एक वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे। 75 जनपदों में क्रियाशील 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के सापेक्ष 29 जनपदों में 231 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (269 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी) के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना (अगस्त/सितंबर 2023) से संज्ञान में आया कि 111 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में विद्युत् की उपलब्द्धता नहीं थी (अगस्त 2023)। इस प्रकार, 111 इनवर्टर और बैटरी के क्रय पर ₹ 31.08 लाख[12] का निष्फल व्यय हुआ। इन 500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया था, यद्यपि उनमें से किसी ने भी न्यूनतम कार्यात्मक चरण[13] (स्टेज-1) प्राप्त नहीं किया था।

[12] ₹ 0.16 लाख प्रति बैटरी की दर से 111 बैटरी और ₹ 0.12 लाख प्रति इन्वर्टर की दर से 111 इनवर्टर।

[13] (1) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को प्रशिक्षण पूरा करना; (2) योग प्रशिक्षक को प्रशिक्षण पूरा करना; (3) वाह्य-रोगी विभाग प्रारम्भ करना; (4) मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को प्रशिक्षण (5) सूचना प्रोद्योगिकी उपकरण के क्रय; (6) प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता।

- चयनित तीन 50 शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों और 8 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की नमूना जाँच में पाया गया कि तीन एकीकृत आयुष चिकित्सालयों कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में कुल ₹ 3.95 करोड़[14] के उपकरण बिना किसी मांग के आपूर्त किए गए थे (दिसंबर 2021 से जनवरी 2022) जिनमें से ₹ 42.80 लाख[15] मूल्य के 156 उपकरण सीलबंद और डिब्बा बन्द की स्थिति में पड़े थे। चूंकि, एक वर्ष के बाद इन उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय कानपुर को आपूर्त की गई ₹ 31.36 लाख मूल्य की पूर्णत: स्वचालित जैव-रसायन मशीन[16] ख़राब पड़ी थी। इस प्रकार, औजार और उपकरण, उनके उपयोग को सुनिश्चित किए बिना क्रय किये गए थे।

पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय, कानपुर में सील्ड और डिब्बा बन्द डब्बों में रखे उपकरण

शासन ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में बिजली की अनुपलब्धता को स्वीकार किया (जनवरी/फरवरी 2025) किन्तु अप्रयुक्त/खराब मशीनरी के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

4.2.3 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के लिए निगरानी प्रणाली के क्रय पर अलाभकारी व्यय

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना में किए गए प्रस्ताव के आधार पर, भारत सरकार ने यूपी में 19 राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में से प्रत्येक[17] में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे और एक बायोमेट्रिक्स-आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए ₹ 99.56 लाख (सितंबर 2022) स्वीकृत किए। राज्य आयुष सोसायटी ने

---

[14] प्रति पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय ₹ 1.32 करोड़ की दर से।

[15] पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय, कानपुर: ₹ 17.58 लाख मूल्य के 67 उपकरण; पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय, लखनऊ: ₹ 12.69 लाख मूल्य के 72 उपकरण; एकीकृत आयुष चिकित्सालय, वाराणसी: ₹12.53 लाख मूल्य के 17 उपकरण (₹62.25 लाख मूल्य के कुल 156 उपकरण)।

[16] एकीकृत आयुष चिकित्सालय, लखनऊ को आपूर्तित ₹15.58 लाख मूल्य की पूर्णतः स्वचालित जैव रसायन मशीन, यू.पी.एस की अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति की तिथि से क्रियाशील नहीं थी।

[17] प्रत्येक 19 आयुष शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए तीन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, वेब-सक्षम, क्लाउड आधारित, सर्वर और 15 रिमोट एक्सेस बुलेट कैमरे (तारयुक्त) और 20 डोम कैमरे (तारयुक्त)।

11 पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों[18] के लिए भी सीसीटीवी कैमरे के साथ बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली तथा 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए डोम कैमरे (वाईफाई) प्रशासनिक मद के अंतर्गत उपलब्ध निधि से क्रय करने का निर्णय[19] लिया (जनवरी 2023)। तदनुसार, राज्य आयुष सोसायटी ने जेम पर सभी वस्तुओं के क्रय के लिए निविदा दस्तावेज अपलोड किए (जनवरी 2023)। सबसे कम दर देने वाली कंपनी, मेसर्स प्रतीक एंटरप्राइजेज को ₹3.76 करोड़ मूल्य के '*गैर-ब्रांडेड*' 79 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर), 3484 डोम कैमरे (वाईफाई), 395 बुलेट कैमरे (तारयुक्त), 534 डोम कैमरे (तारयुक्त) और 901 बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की आपूर्ति के आदेश निर्गत किए गए[20] (मई 2023)। विक्रेता द्वारा अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान उपकरणों की आपूर्ति की गयी।

राज्य में 19 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों (8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों) द्वारा दी गई सूचना से पता चला कि 13 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में डिजिटल वीडियो डिस्क पहले से ही स्थापित और क्रियाशील थे; 16 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में सीसीटीवी कैमरे (डोम और बुलेट) पहले से अवस्थापित और क्रियाशील थे तथा 15 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली पहले से ही उपलब्द्ध और काम करने की स्थिति में थी । इस प्रकार, इन 13, 16 और 15 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों को डिजिटल वीडियो डिस्क, सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की आपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹ 21.56 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सभी 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए सीसीटीवी कैमरों और बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की आपूर्ति के आदेश जारी किए गए थे किन्तु केवल

---

[18] प्रत्येक 50 शैय्या वाले 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के लिए दो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, वेब-सक्षम, क्लाउड आधारित, सर्वर और रिमोट एक्सेस 10 बुलेट कैमरे (तारयुक्त) और 14 डोम कैमरे (तारयुक्त)।

[19] 19 राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय और 11 पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय में बुलेट कैमरे (तारयुक्त), डोम कैमरा (तारयुक्त), डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली तथा (ख) 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली के साथ डोम कैमरे (वाई-फाई) की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुतियों (सितंबर 2021) के आधार पर; इस शर्त के साथ कि इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में बिजली और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता हो।

[20] तकनीकी और वित्तीय बिड्स क्रमशः 21 और 28 फरवरी 2023 को खोली गईं; और तीन निविदादाताओं में से, मैसर्स प्रतीक एंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत दरें सबसे कम पाई गईं।

718 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में ही विद्युत् उपलब्ध थी (नवंबर 2024) तथा किसी भी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़[21] का निष्फल व्यय हुआ।

शासन ने कहा (जनवरी/फरवरी 2025) कि निविदा में किसी विशिष्ट ब्रांड का उल्लेख करने से प्रतिस्पर्धा कम हो जाती, सक्षम प्राधिकारी से सीसीटीवी और बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के परिसरों के अधिकांश भाग उपलब्ध सीसीटीवी से आच्छादित नहीं थे तथा गैर-विद्युतीकृत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में विद्युतीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिक संख्या में आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए निविदा दस्तावेज में केवल विशिष्टियों का उल्लेख किया जाना था तथा 'गैर-ब्रांडेड' वस्तुओं की दरें, कैटलॉग और आपूर्तिकर्ता, मूल उपकरण निर्माता द्वारा सत्यापन योग्य नहीं होते, मांग का निर्णय लेते समय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में सीसीटीवी कैमरों और बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की उपलब्धता पर विचार नहीं किया गया था और लगभग दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बिना वाई-फाई तथा 153 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बिना विद्युतीकरण के संचालित थे, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को उपलब्ध कराये गए कैमरे अनुपयोगी पड़े थे।

4.2.4 टेलीमेडिसिन हेतु उपकरणों का क्रय

भारत सरकार ने लोगों को उनके द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष ₹ 2.11 करोड़ (अनावर्ती: ₹ 1.68 करोड़ + आवर्ती: ₹ 0.43 करोड़) की धनराशि स्वीकृत की थी| उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत (जनवरी 2020) ₹ 1.63 करोड़ के प्रस्ताव[22] के आधार पर, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (कार्यदायी संस्था) को कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के

[21] 4 डोम कैमरा X 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों X ₹6715 + 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों X ₹9495 = ₹3,16,65,205/-

[22] राज्य आयुष सोसाइटी के एक पत्र (जनवरी 2020) के प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्व प्रस्तावों में, "एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन" प्रणाली उद्धृत थी।

रूप में नामित किया[23] (फरवरी 2020)। कार्यदायी संस्था ने कार्य के लिए ₹ 2.13 करोड़ का एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2020) जो परियोजना की अनावर्ती और आवर्ती लागत की कुल राशि के निकट था। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों के बीच अंतर का कारण पहले प्रस्तुत किए गए "*एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन*"[24] के स्थान पर ₹ 52.33 लाख की लागत से 384 "*एंड्रॉइड समर्थ 4-जी टैबलेट*" को सम्मलित करना था। स्पष्ट है कि आवर्ती लागत का उपयोग करने के लिए संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया गया था।

संप्रेक्षा ने देखा कि राज्य आयुष सोसायटी ने यूपीडेस्को को 16 जनपदों[25] के 384 आयुष औषधालयों में, उन्ही के द्वारा चयनित (मई 2020) एक विक्रेता[26] के माध्यम से, टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹ 2.11 करोड़[27] का कार्यादेश निर्गत किया (मई 2020) तथा उनके साथ एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया (जून 2020)। राज्य आयुष सोसायटी ने ₹ 1.05 करोड़ का अग्रिम भी अवमुक्त किया (जून 2020) तथा कोरोना वायरस 2019 (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे पूर्ण करने की निर्धारित अवधि एक महीने तय की । तथापि सिम का प्रावधान न होने के कारण इस परियोजना को संचालित नहीं किया जा सका। विक्रेता ने उन उपकरणों (₹ 5.47 लाख) को हटाते हुए जो परियोजना में आवश्यक नहीं थे, इंटरनेट सुविधा के साथ सिम के क्रय हेतु ₹ 5.41 लाख का प्रस्ताव रखा। परियोजना में सिम का प्रावधान न करना और अनावश्यक उपकरणों का प्रावधान करना इंगित करता है कि इसे राज्य आयुष सोसायटी द्वारा बिना किसी समुचित विचार के अनुमोदित किया गया था (दिसंबर 2021)। सिम के साथ टैबलेट का वितरण[28] जुलाई 2022 में

---

[23] बजट मैनुअल के पैराग्राफ 174 (13) के उल्लंघन में, जो अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्धी निविदाओं के बिना अनुबंध करने को वित्तीय अनियमितता मानता है; और जेम के माध्यम से सामग्री के क्रय के लिए शासनादेश (अगस्त 2017).

[24] एंड्रॉइड वी-7 या उच्चतर, स्क्रीन आकार -7, 4जी सक्षम सिम स्लॉट, वाई-फाई, बैटरी 2500 एमएएच या उच्चतर, फ्लिप कवर केस के साथ एक वर्ष का ओ एंड एम। विक्रेता ने अभिलेखों में बिना किसी औचित्य के कुल 384 इकाइयों के लिए 'वाणिज्यिक ऑफ-द-शेल्फ मॉडल पर मोबाइल एप्लिकेशन' हेतु प्रति टैबलेट ₹25,635 (सेंटेज और जीएसटी सहित) की दर से कुल रु० 75.84 लाख प्रभारित किया ।

[25] मूल रूप से यह 10 जिलों में 384 औषधालय थे। चूंकि, केवल 310 औषधालयों में चिकित्सा अधिकारी थे, आयुर्वेद सेवा निदेशालय द्वारा 6 नए जिलों को आवरित करते हुए 74 चिकित्सा अधिकारी की एक नई सूची प्रदान की गई है।

[26] एमएआरजी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, लखनऊ (एमएआरजी)।

[27] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 'क्रियान्वयन और रिमोट ऑपरेशन सपोर्ट' (₹ 0.78 लाख), प्रशिक्षण सहायता (₹ 0.58 लाख) को हटा दिया; और कार्यादेश को स्वीकृत राशि के भीतर रखने के लिए टेलीविजन के मूल्य में ₹ 0.22 लाख की कमी कर दी।

[28] यद्यपि, इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता और 384 डिस्पेंसरियों के चिकित्सा अधिकारियों को टैबलेट का वितरण न करने के कारण परियोजना क्रियाशील नहीं थी, राज्य आयुष सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹ 95.69 लाख का भुगतान (जनवरी 2022) अवमुक्त कर दिया।

पूर्ण हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप दो साल से अधिक समय तक परियोजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सका[29]। पुनः छह महीने के बाद सिम रिचार्ज नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप दो महीने की छूट की अवधि के उपरांत सेवा बंद (दिनांक 22.11.2022) हो गई।

संप्रेक्षा ने देखा कि कार्यदायी संस्था ने दिनांक 16.07.2021 से 15.07.2022 की अवधि के लिए ₹ 53.46 लाख (मई 2022) और दिनांक 15.07.2022 से 14.07.2023 की अवधि के लिए ₹ 55.38 लाख (मार्च 2023) के वार्षिक अनुरक्षण शुल्क की मांग की, जिसका भुगतान राज्य आयुष सोसायटी द्वारा क्रमशः फरवरी 2023 और नवंबर 2023 में कर दिया गया, यद्यपि 22 नवंबर 2022 से सेवाएं बंद होने के बाद, इंटरनेट सेवायें 31 अक्टूबर 2023 (11 महीने से अधिक समय के बाद) से पुनः प्रारंभ हो पायीं। इसके परिणामस्वरूप 11 महीने से अधिक समय तक टेलीमेडिसिन का लाभ नहीं प्रदान किया जा सका जबकि अक्रियाशील टेलीमेडिसिन प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण शुल्क पर ₹ 49.46 लाख का अपरिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि परियोजना बिना किसी व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन और सूचना, शिक्षा और प्रचार के प्रारंभ की गई थी। परिणामस्वरूप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले रोगियों की संख्या नगण्य थी। इसके अलावा, रोगियों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोधों का इस उद्देश्य के लिए तैनात विशेषज्ञों द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- 175 औषधालयों से संबंधित 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2023 की अवधि के लिए एक रिपोर्ट से पता चला कि कुल 2812 कॉल के सापेक्ष केवल 627 कॉल (22.30 *प्रतिशत*) की पुष्टि की गई थी, और 2149 कॉल (76.42 *प्रतिशत*) लंबित थीं। पुष्टि की गयी कॉलों में से केवल 109 कॉल (17.38 प्रतिशत) स्वीकार की गईं, 36 कॉल (5.74 *प्रतिशत*) निरस्त की गईं और 519 कॉल (95.62 *प्रतिशत*) स्वीकार नहीं की गईं।
- 376 औषधालयों से संबंधित जनवरी 2024 से फरवरी 2024 की अवधि के लिए एक रिपोर्ट से पता चला कि कुल 6204 कॉलों के सापेक्ष केवल 2693 कॉलों की पुष्टि की गई, जिनमें से 131 कॉल (4.86 *प्रतिशत*) स्वीकार की

[29] अनुबंध में किसी भी शास्ति के प्रावधान के अभाव में उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से कोई जुर्माना नहीं वसूला गया था।

गईं, 157 निरस्त की गईं और 2575 कॉल (95.62 *प्रतिशत*) स्वीकार नहीं की गईं।

इस प्रकार, टेलीमेडिसिन प्रणाली की स्थापना और अनुरक्षण पर किया गया ₹ 3.20 करोड़ का व्यय आंशिक रूप से ही उपयोगी था।

शासन ने अनावश्यक उपकरणों को हटाकर सिम के क्रय किये जाने को स्वीकार किया (जनवरी 2025) और कहा कि काम निर्धारित समय के भीतर पूरा हो गया है; एंड्रॉइड समर्थ 4-जी टैबलेट एक आवश्यक उपकरण था; और इंटरनेट सुविधा समाप्त होने के बाद भी टेलीमेडिसिन ऐप का उपयोग किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिम के साथ टैबलेट का वितरण जुलाई 2022 में पूर्ण हुआ था, जो यह प्रदर्शित करता है कि परियोजना को पूरा करने में दो साल से अधिक की देरी हुई थी; बाद के चरण में टैबलेट को सम्मिलित करने से पता चलता है कि इसे उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने के लिए सम्मिलित किया गया था; और शासन ने स्वयं स्वीकार किया है कि टेलीमेडिसिन ऐप को इंटरनेट के बिना संचालित नहीं किया जा सकता है।

संक्षेप में, जेम की अनदेखी करके फर्नीचरों और उपकरणों का क्रय करने, आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए जाने और उनके क्रय तथा उपयोग पर अलाभकारी व्यय किये जाने के प्रकरण लेखापरीक्षा में पाए गये। विद्युत् और इंटरनेट न होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में उपकरण अनुपयोगी पड़े थे।

अनुशंसा 6: शासन को विभिन्न श्रेणियों की आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षित आवश्यक फर्नीचरों और उपकरणों की उपलब्धता के लिए मानक निर्धारित करने चाहिए; फर्नीचरों और उपकरणों के क्रय के लिए उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रय किये गये फर्नीचर और उपकरण अनुपयोगी न पड़े रहें।